न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मांगीलाल राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या : 192 / 2024

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

01 कानाराम पुत्र हरिराम
02 मोहनलाल पुत्र हरिराम जातिगण माली निवासीगण वास मायला आट, जैतारणिया गेट सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0

01 तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-
01 श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02 तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 08/10/2025

-: निर्णय :-

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत व.क. प्रथम पटवार हल्का सोजत चक प्रथम भू.नि.क्षे. सोजत तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 4704 रकबा 0.0500 हैक्टर की आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पास में सोजत नगरपालिका के आबादी क्षेत्र वास मायला आट में प्रार्थीगण के मकानात के पास चैनाराम पुत्र राजाराम व देवाराम का मकान हैं। जिसके पश्चात पूर्वी दिशा में प्रार्थीगण के मकानात है जिसका पट्टा चैनाराम पुत्र राजाराम ने व प्रार्थीगण ने नगरपालिका सोजत से प्राप्त कर लिया है। चैनाराम व देवाराम के मकानात जिस खसरा नम्बर में बने है उसका खसरा संख्या 4704 / 1 हैं, जो वर्तमान में नगरपालिका सोजत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4704 हैं जो वर्तमान में नगरपालिका सोजत के नाम दर्ज नहीं हुई। खसरा संख्या 4704 / 1 व 4704 के पश्चिम दिशा में स्थित भू-भाग था। लेकिन राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय 4704 / 1 की तरमीम 4704 के उत्तर दिशा में कर दी गई, जबकि सही व वास्तविक स्थिति है कि 4704 / 1, 4704 के पश्चिम में ही स्थित है, 4704 मे भी प्रार्थीगण के मकानात बने हुए है, ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि ऑनलाईन राजस्व नक्शे में त्रुटिवश हुई तरमीम को दुरुस्त करवाकर खसरा नम्बर 4704 / 1 की तरमीम पुनः 4704 के पश्चिम दिशा में करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरुस्ती का न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर खसरा संख्या 4704 / 1 की तरमीम खसरा संख्या 4704 के

पश्चिम दिशा में किये जाने का आदेश प्रदान कराते एवं अप्रार्थी को राजस्व नक्शे में संशोधन करने हेतु आदेशित कराने की ईस्तदुआ की है।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सोजत चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 4 का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 5 व 6 का जवाब कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नं0 4704 रकबा 0.0500 है० किस्म चाही प्रथम खातेदार कानाराम 1/2 गोराराम 1/2 पि० हरिराम जाति माली सा० देह खातेदार तथा खसरा नं० 4704/1 रकबा 0.0100 है० किस्म गै०मु० आबादी नगरपालिका सोजत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मूल खसरा नं0 4704 रकबा 0.0600 है० भूमि का बंटवाड़ा ना०क० 339 नि० दिनांक 21.12.1983 (आपसी सहमति बंटवाड़ा) से दो भाग (खसरे) मय रकबा 4704 = 0.0100 है० तथा 4704 (मि) रकबा 0.0500 है० दर्ज हुआ। उक्त ना०क० की पुष्ट पीछे विभाजित खसरो का नजरी नक्शा दर्ज नहीं है। न० क० संख्या 1564 निर्णय दिनांक 19.01.2002 (आदेश) तहत खसरा नं0 4704 रकबा 0.0100 की किस्म परिवर्तन होकर किस्म गै०मु०आबादी नगरपालिका के पक्ष में दर्ज हो गया। ऑनलाईन सेग्रीगेशन के तहत मूल खसरा 4704 के भाग खसरा नं0 4704 व 4704/1 की तरमीम राजस्व रेकर्ड में की गई। जिसका राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति संलग्न रिपोर्ट अनुसार है। मौतबिरानों ने पूछताछ में बताया कि नजरी नक्शानुसार बिन्दु ख0न0 4704/1 तथा बिन्दु ख0न0 4704 के खातेदारों का कई वर्षों का कब्जा है। संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार मूल ख0नं0 4704 रकबा 0.06 है0 एबीडीई, ख0नं0 4704/1 रकबा 0.01 है0 एबीसीएफ व ख0नं0 4704 रकबा 0.05 है0 एफसीडीई राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं, जबकि मौके पर ख0नं0 4704/1 एएचजीई अनुसार नगरपालिका के पट्टाधारी का रहवासी कब्जाधारी मकान तथा बीडीजीएच ख.नं. 4704 के खातेदार का मौके पर मकान मय कब्जा हैं। जो कई वर्षों से मौका अनुसार बिना किसी वाद विवाद के काबिज हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम को दोनों पक्षों ने गलत बताया तथा मौकानुसार तरमीम किये जाने को कहा तथा मौका फर्द पढ़कर सुनाई गई तथा सही मानते हुए हस्ताक्षर किए, की रिपोर्ट पेश की,सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा संख्या 4704/1 की तरमीम खसरा संख्या 4704 के पश्चिम दिशा

किये जाने का आदेश प्रदान कराने एवं अप्रार्थी को राजस्व नक्शे में संशोधन करने हेतु आदेशित कराने की ईस्तदुआ की हैं। जवाब कलम में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि के ऑनलाईन सेग्रीकेशन के समय राजस्व नक्शे में ख0नं0 4704/1 की तरमीम ख0नं0 4704 के उत्तर में कर दी गई, जबकि मौके पर ख0नं0 4704/1 की स्थिति ख0नं0 4704 के पश्चिम मे स्थित होने की संपुष्टि होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझा।

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में स्थित खसरा संख्या 4704/1 की तरमीम खसरा संख्या 4704 के पश्चिम दिशा में तरमीम दुरुस्त कर शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर [illegible] जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
[illegible] सोजत (राज.)